दस रुपये
TEN RUPEES

(64)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, कैम्प-उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2002-03 निगरानी - 1618-III/03

प्रार्थी/अभिभाषक श्री रवीन्द्र त्रिवेदी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 21-10-03
अधीक्षक
अ.यु. कार्यालय
उज्जैन संभाग

क्रमांक RP 629
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 28-10-03 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल
बा. क्र. 300
दिनांक 28/10/03
मध्य प्रदेश

रतनसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत,
निवासी-ग्राम दिल्लौद, तहसील-शाजापुर जिला-शाजापुर, कृषक, ग्राम यशवन्त नगर, तहसील-तराना, जिला-उज्जैन (म0प्र0) -------आवेदक

----विरूद्ध-----

1. भुवान आ0 श्री कनीरामजी बंजारा,
2. अमरसिंह आ0 श्री कनीरामजी बंजारा,
3. बनेसिंह पिता श्री कनीरामजी बंजारा,
4. रमेश आ0 श्री कनीरामजी बंजारा,
5. शिवजी आ0 श्री कनीरामजी बंजारा,
6. हजारी आ0 श्री कनीरामजी बंजारा,

समस्त निवासीगण-ग्राम सनकोटा, तहसील-तराना जिला-उज्जैन (म0प्र0) -----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता न्यायालय कलेक्टर महोदय, जिला-उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/2002-2003 निगरानी में भुवान आदि--वि--रतनसिंह में पारित आदेश दिनांक 6/8/2003 के विरूद्ध.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1618-तीन/03

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा आवेदक का पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.02.2002 को सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक 4/निगरानी/2002-03 में दिनांक 06.08.2003 को आदेश पारित कर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को दृष्टि ओझल कर आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.06.2000 को पुर्नविलोकन की विधि अनुसार अनुमति दी गई थी। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को प्रकरण का पुर्नविलोकन कर विधिसंगत आदेश पारित करना चाहिए था, जिस पर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किया जाये। 3/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने संहिता की धारा 44(3) की गलत व्याख्या की है। पुर्नविलोकन के आवेदन को नामंजूर करने वाले आवेदन की अपील नहीं होने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रकरण में तहसीलदार ने पुर्नविलोकन आवेदन पर अनुमति प्राप्त होने के बाद पुन: सुनकर पुराने आदेश की पुष्टि की है, तो अनुविभागीय अधिकारी का यह मानना सही है कि वह अपील योग्य आदेश की श्रेणी में ही आयेगा, जिस पर कोई विचार नहीं करने में कलेक्टर द्वारा भूल की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2003 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है। **अध्यक्ष**	